"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 157] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 अप्रैल 2013—चैत्र 27, शक 1935

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-01/2012/वा.कर (पं.)/पांच (28).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ पंजीयन तथा मुद्रांक तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 1989 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची-एक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

अनुसूची-एक
(अनुसूची 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उप पंजीयक	80	कार्यपालक	5200-20200+ग्रेड पे 2800/-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक/ रिकार्ड कीपर	25	कार्यपालक	5200-20200+ग्रेड पे 2400/- (दिनांक 01-06-2006 से प्रभावशील पुनरीक्षित वेतनमान)
3.	पंजीयन लिपिक	96	कार्यपालक	5200-20200+ग्रेड पे 1900/-
4.	वाहन चालक	5	तृतीय श्रेणी	5200-20200+ग्रेड पे 1900/-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 10-01/2012/वा.कर (पं.)/पांच (28).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-01/2012/वा.कर (पं.)/पांच (28), दिनांक 06-04-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, सचिव.

Raipur, the 6th April 2013

NOTIFICATION

No. F 10-01/2012/CT(R)/V (28).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Registration and Stamps Class-III (Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 1989, namely :—

AMENDMENT

In schedule of the said rules,—

For schedule-I, the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE-I
(See Rules-5)

S. No.	Name of the Post included in the service	Number of Posts	Classification	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sub-Registrar	80	Executive	5200-20200+Grade pay 2800/-
2.	Upper Division Registration Clerk/Record-Keeper.	25	Executive	5200-20200+Grade pay 2400/- (Revised pay Scale w.e.f. 01-04-2006)
3.	Registration Clerk	96	Executive	5200-20200+Grade pay 1900/-
4.	Driver	5	Class-III	5200-20200+Grade pay 1900/-

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. S. VISHWAKARMA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.